न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–13 / 2022 (2022 / 103) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–एकलिंग पिता गुलाब सेन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद– प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–08.02.2023

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नयाखेड़ा जाटान तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4481 रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थी की कृषि आराजियात मे संज बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता नयाखेड़ा जाटान से आम्बाखेड़ा जाने वाली मुख्य सड़क से होकर आगे बिलानाम आराजी संख्या 4483 रकबा 1.14 है0 भूमि की पूर्वी सीमा से लगता हुआ होकर प्रार्थी की भूमि मे जाता रहा है उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है इसलिये उक्त रास्ते पर अतिक्रमी आये दिन पत्थर डालकर कब्जा करने पर उतारू होते है तथा रास्ते को बन्द करने की धमकिया देते रहते है जिससे उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म गै.मु. रास्ता करवाया जाकर रास्ता का खुलासा करना नितान्त आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे आवागमन किया जा रहा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि ग्राम नयाखेड़ा पटवार मण्डल सगरेव की आराजी संख्या 4481 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 4483 रकबा 1.14 है0 भूमि के पूर्वी पाली पर 20 फीट चौड़ाई मे स्थित है जिसे प्रस्तावित रास्ते के रूप में दर्शाया गया है को नियमानुसार डीसलससी दर जमा करा राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेष तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावें तथा रास्ते का खुलासा करवाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि आराजी संचख्या 4481 पर जाने का राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। मौके पर आराजी संख्या 4483 रकबा 1.14 है0 बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है मौके पर आराजी संख्या 4481 रकबा 1.08 है0 पर जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। वर्तमान में आराजी संख्या 4483 रकबा 1.14 है0 से ही जाया जा रहा है। आराजी संख्या 4483

रकबा 1.14 है0 पर रास्ते का क्षैत्रफल 960 वर्गमीटर बनता है। सलग्न नक्शा ट्रेस में रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है रास्ते हेतु 960 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर से राशि 20746 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 41492 रूपये बनती हैं

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नयाखेड़ा जाटान तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 4481 रकबा 1.08 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 4483 रकबा 1.14 है0 मे से रकबा 0.0960 है0 भूमि (यानि 960 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 216105/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 20746/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 41492/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–13 / 2022 (2022 / 103) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–एकलिंग पिता गुलाब सेन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नयाखेड़ा जाटान तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 4481 रकबा 1.08 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 4483 रकबा 1.14 है0 मे से रकबा 0.0960 है0 भूमि (यानि 960 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 216105 / –रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 20746 / –रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 41492 / –रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)